न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल
जिलाः– सुपौल।

उपस्थितिः– अनंत सिंह
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

निर्णय की तिथिः– 23 मार्च, 2026

सत्र वाद संख्या–339/2023
सी0आई0एस0 संख्या–339/2023

- प्राथमिकी छातापुर थाना कांड संख्या–425/2022, दिनांक 14.11.2022

सूचक	राज्य की ओर सेः– पंकज कुमार दास	
राज्य की ओर से	श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक	
अभियुक्त	**1.**	अनिल दास, उम्र 33 वर्ष, पे0 हरेराम दास **ए–1**
	2.	अशोक दास, उम्र 45 वर्ष, पे0 हरेराम दास **ए–2**
	3.	हरेराम दास, उम्र 65 वर्ष, पे0 स्व0 मोहन दास **ए–3**
		ए–1 से ए–3 तक सभी का साकिन भागवतपुर, थाना छातापुर, जिला सुपौल
बचाव पक्ष की ओर से	श्री विनोदकांत झा, विद्वान अधिवक्ता	

FORM-B	
➢ घटना की तिथि	14.11.2022
➢ प्राथमिकी की तिथि	14.11.2022
➢ आरोप पत्र की तिथि	08.08.2023
➢ आरोप गठन की तिथि	17.10.2023
➢ साक्ष्य बंद होने की तिथि	23.02.2026
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	10.03.2026
➢ निर्णय की तिथि	23.03.2026
➢ Date of the Sentencing Order, if any	Not Applicable

अभियुक्त का विवरण							
अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ़्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detection Undergone during Trial for Purpose of Section 428 Cr.P.C
ए–1	अनिल दास	16.06.23	06.10.23	341, 323, 324, 307, 379, 385, 504 एवं 506 भा0द0वि0	Acquitted	N/A	N/A
ए–2	अशोक दास	.....	20.06.23				
ए–3	हरेराम दास	16.12.22	03.01.23				

::निर्णय::

1. प्रस्तुत वाद के अभियुक्त आवेदकगण अनिल दास, अशोक दास एवं हरेराम दास के वरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 324, 307, 379, 385, 504 एवं 506 के अंतर्गत आरोप का विचारण किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद सूचक पंकज कुमार दास के फर्द बयान पर आधारित है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है, कि दिनांक 14.11.2022 दिन सोमवार समय करीब 08:00 बजे सुबह में सूचक अपने गॉव स्थित अपने खेत में रखा धान का फसल को देखने गया था, जहॉ कुछ देर बाद उसका फसल तैयारी होना था, लेकिन उसी बीच अभियुक्त आवेदकगण हरवे हथियार, लाठी, डंडा, दबिया, लोहे की रड इत्यादि से ट्रेक्टर , थेसर लेकर आया और उसका धान को जबरदस्ती तैयारी करने लगा, तो उसके ारा मना करने पर अनिल कुमार दास के द्वारा गंदी गंदी गालियॉ देते हुये जान से मारने का आदेश दिया, तो अशोक दास ने उसे पकड़ लिया और अनिल कुमार दास ने जान मारने की नियत से दबिया से उसके सर पर वार किया, जिसे उसका सर काफी कट गया, खून बहने लगा तथा उसके उपर लगातार दबिया प्रहार करते रहा और वह जमीन पर गिर गया, जब इसकी जानकारी उसके परिजन को हुआ तो उसे बचाने उसका बड़ा भाई विरेन्द्र दास आया तो उसे अशोक दास ने लोहे की रड से प्रहार किया, जिसे उसका सर कट गया, खून बहने लगा एवं उसके बाद उसके पिताजी एवं मॉ दौड़कर आयी तो उसके साथ भी मारपीट किया और तथा उसके गले से सोना का चेन 12 आना एवं नगद 10,000/– रूपया हरेराम दास ने छीन लिया तथा अनिल कुमार दास ने रंगदारी के रूप में 50000/– सलाना मॉग किया।

3. सूचक के उपरोक्त कथन के आधार पर छातापुर थाना कांड संख्या–425/2022 दिनांक 14/11/2022 संस्थित किया गया। तत्पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व आरोप पत्र सं0–295/2023 समर्पित किया गया। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा–341, 323, 324, 326, 307, 504/34 के अंतर्गत दिनांक 21/08/2023 को अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विद्वान निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 28/08/2023 द्वारा वाद का दौरा सुपुर्द किया गया तथा अभिलेख दिनांक 31/08/2023 को प्राप्त हुआ। अंत में अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त अनिल दास, अशोक दास एवं हरेराम दास के विरुद्ध दिनांक 17/10/2023 को भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 324, 307, 379, 385, 504 एवं 506 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है।

5. उक्त अभियुक्तों का बयान दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 10/03/2026 को दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

6. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारण का सामने कर रहे उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे इस प्रकार साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं जिससे कि उन्हें इस वाद में दोषी साबित किया जा सके ?

मंतव्य

7. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचक एवं जख्मी सहित कुल 03 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1.	पंकज कुमार दास (सूचक)	P.W.-1
2.	रूपेश कुमार दास	P.W.-2
3.	हंसा देवी	P.W.-3
4.	ललिता देवी	P.W.-4
5.	कुशेश्वर दास	P.W.-5

8. इस वाद में अभियोजन की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से इस वाद में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया कि इस वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है और न ही उक्त घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी ठोस विधिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने की प्रार्थना की गयी।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत सूचिका एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से प्रतीत होगा कि अभियोजन अभियुक्तं के विरूद्ध अपना मामला को साबित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त वाद में दोषी करार करने की प्रार्थना की गयी।

12. प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्त्ता सहित कुल 03 साक्षियों को प्रस्तुत कराया गया है, जिसमें **अभियोजन साक्षी सं0–01. पंकज कुमार दास** है, जो प्रस्तुत वाद के सूचक सह जख्मी है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे इस मुकदमा का सूचक है। यह मुकदमा उसके द्वारा किया गया है तथा उसने दिनांक 14.11.2022 को पुलिस को लिखित आवेदन दिया था, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसे प्रदर्श–01 के रूप में चिन्हित किया गया है। साढ़े तीन वर्ष पूर्व अनिल दास, अशोक दास, हरेराम दास, इनलोगों से उसका झगड़ा हुआ था, इनलोगों के द्वारा जबरदस्ती उसका थ्रेसर से धान तैयार करने के लिये कहा था, जब उसके द्वारा मना किया गया तो इनलोगों के द्वारा उसे मारकर उसका सर फोड़ दिया तथा उसकी मॉ एवं पिता को भी मारपीट किया। अभियुक्तों से उसका समझौता हो गया है। छातापुर में उसका ईलाज हुआ था। सभी अभियुक्तों को पहचानता है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ हो गया था तथा उसे कैसे चोट लगी थी याद नहीं है। अभियुक्तगण उसका ग्रामीण है, इसलिए पहचानते है।

अभियोजन साक्षी सं0–02. रूपेश कुमार दास है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि यह घटना करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है। धान तैयारी को लेकर मुदैय एवं मुदालह के बीच लड़ाई हुआ था तथा दोनो पक्ष जख्मी हुये थे और दोनो पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरूद्व मुकदमा किया गया। सभी मुदालह को पहचानते है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दोनो पक्षों में मेल व सुलह हो गया है तथा वे नहीं बता सकता है कि कौन किसको मारा था।

अभियोजन साक्षी सं0–03. हंसा देवी है, जो प्रस्तुत वाद की जख्मी है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण कही है कि घटना साढ़े तीन वर्ष पूर्व की है। धान तैयारी को लेकर मुदालह लोगों के द्वारा झगड़ा किया गया था तथा दोनो पक्षों को चोट लगी थी एवं मारपीट में उसे भी चोट लगी और वह भी जख्मी हुई थी।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि मुदालह लोगों से मेल व सुलह हो गया है। घटनास्थल पर काफी भीड़ थी, इसलिए नहीं बता सकती है कि उसे उसे किसके द्वारा मारपीट किया गया था।

अभियोजन साक्षी सं0–04. ललिता देवी है, इन्होने अपने मुख्य परीक्षण में कही है, कि घटना साढ़ै तीन वर्ष पूर्व की है। धान तैयारी को लेकर दोनो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था तथा दोनो पक्षों के लोग जख्मी हुये थे और दोनो पक्षों के द्वारा एक दूसरे के उपर मुकदमा किया गया। सभी मुदालह को पहचानती है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि मुदालह ग्रामीण है। इसलिए पहचानती है। मुदैय और मुदालह के बीच मेल व सुलह हो गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–05. कुशेश्वर दास है, जो प्रस्तुत वाद की जख्मी है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण कहा है, कि घटना 2–3 वर्ष पूर्व की है। उसका साईकिल हरेराम का पुत्र अनिल ने छीनकर फेंक दिया था और उसे बहुत मारा था। हरेराम के द्वारा घटना के दिन ही धान तैयारी के लिये कहा गया था, लेकिन उसके द्वारा का गया कि धान आज तैयारी नहीं करेगें तो उसी बात पर उसे लाठी से मारपीट किया गया। अभियुक्तों से उसका समझौता हो गया है। छातापुर में उसका ईलाज हुआ था। सभी अभियुक्तों को पहचानते है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है, कि घटनास्थल पर काफी भीड़ हो गयी थी तथा उसे कैसे चोट लगी थी याद नहीं है। अभियुक्तों से कोई शिकायत नहीं है।

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के तथ्यपरक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से सूचक, जख्मी सहित कुल 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, लेकिन उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्व नहीं होती है, क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या–01. पंकज कुमार दास जो प्रस्तुत वाद के सूचक सह जख्मी है, अभियोजन साक्षी सं0– 03. हंसा देवी, जो जख्मी है तथा अभियोजन साक्षी सं0–05. कुशेश्वर दास, जो जख्मी है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का आंशिक समर्थन किया है, लेकिन अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ होने के वजह से वह नहीं बता सकता है, कि उसे कैसे चोट लगी थी, आगे यह भी बताया है कि अभियुक्तों से उसका समझौता हो गया है तथा अभियुक्तों से कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावे अभियोजन साक्षी सं0–

02. रूपेश कुमार दास, अभियोजन साक्षी सं0– 04. ललिता देवी है जो स्वतंत्र साक्षी है, इन्होंने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि धान तैयारी को लेकर दोनो पक्षों के बीच विवाद हुआ तथा दोनो पक्षों के लोग जख्मी हो गये थे तथा इन्होंने अपने–अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुदैय और मुदालहों के बीच मेल व सुलह हो गया है। इस तरह अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अभियोजन की ओर से जितने भी साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया है, उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि कांड के सूचक एवं जख्मी ने अपने अपने बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है, बल्कि अपने अपने प्रतिपरीक्षण में मुदालह लोगों से समझौता होने की बात बताया है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वाद में विचारण का सामना कर रहें उक्त अभियुक्तों के विरूद्व सूचक एवं उसकी माता तथा पिता के साथ हुई घटना में शामिल होने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिसे अभियोजन की घटना साबित हो सके। अतः इस न्यायालय के मतानुसार अभियोजन इस वाद के अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को सभी युक्ति–युक्त रूप से संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप :–

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त आवेदकगण अनिल दास, अशोक दास एवं हरेराम दास को भा0दं0वि0 की धारा 341, 323, 324, 307, 379, 385, 504 एवं 506 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को बंधपत्र के समस्त उत्तरदायित्वों, यदि कोई हो, से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज यथा दिनांक 23/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–23.03.2026

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–23.03.2026